

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 12/2018-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 7 मार्च, 2018

सा.का.नि. _____ (अ). -- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2018 है।
- (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में,--

- (i) नियम 117 में, उपनियम (4) के खंड (ख) में, उपखंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(iii) इस स्कीम का लाभ उठाने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और उप नियम(2) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसरण में उसके द्वारा रखे गए माल के ब्यौरे 31 मार्च, 2018 तक या ऐसी अवधि के भीतर जैसा परिषद् की सिफारिशों पर आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए, प्ररूप जीएसटी टान 2 में छह कर अवधियों के प्रत्येक के लिए जिसके दौरान स्कीम कर अवधि के दौरान प्रभावित ऐसे माल के प्रदाय के ब्यौरे उसमें उपदर्शित करते हैं, कथन प्रस्तुत करेगा,";

- (ii) नियम 138 के स्थान पर निम्नलिखित नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"138. माल का संचलन और ई-वे बिल के सृजन से पूर्व प्रस्तुत की जाने वाली सूचना-(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल के पारेषण, जिसका मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, का-

- (i) किसी पूर्ति के संबंध में संचलन कारित करता है ; या
- (ii) पूर्ति से भिन्न किसी कारण से संचलन कारित करता है ; या
- (iii) किसी गैर-रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से आवक पूर्ति के कारण संचलन कारित करता है,

ऐसे संचलन के प्रारंभ होने से पूर्व, उक्त माल के संबंध में सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी ईब्ल्यूबी-01 के भाग क में यथाविनिर्दिष्ट सामान्य पोर्टल पर

अपेक्षित की जाने वाली ऐसी अन्य सूचना प्रस्तुत करेगा और उक्त पोर्टल पर एक विशिष्ट सं. सृजित की जाएगी।

परंतु परिवहक, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्त प्राधिकार पर, ऐसी अन्य जानकारी, जैसा सामान्य पोर्टल पर अपेक्षित हो, के साथ साथ सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी-01 के भाग क में जानकारी देगा और उक्त पोर्टल पर एक विशिष्ट सं. सृजित की जाएगी:

परंतु यह और कि जहां मालों का परिवहन किसी ई-वाणिज्य आपरेटर या कोरियर एजेंसी के माध्यम से किया जाता है या आपूर्ति किया जाता है वहां आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्त प्राधिकार पर ऐसे ई-वाणिज्य आपरेटर या कोरियर एजेंसी द्वारा प्ररूप जीएसटी ई-डब्ल्यू बी-01 के भाग क में जानकारी दी जाएगी और उक्त पोर्टल पर एक विशिष्ट सं. सृजित की जाएगी:

परंतु यह भी कि जहां माल एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित स्वामी से अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित कार्यकर्मकार को भेजा जाता है, वहां ई-वे बिल, पारेषण के मूल्य पर ध्यान दिए बिना स्वामी या रजिस्ट्रीकृत हो तो, जो कर्मकार द्वारा सृजित की जाएगी।

परंतु यह भी कि जहां हस्तशिल्प माल एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से दूसरे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में किसी ऐसे व्यक्ति जो धारा 24 के खंड (i) और (ii) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने की अपेक्षा से छूट प्राप्त है, द्वारा परिवहन किया जाता है तो ई-वे बिल, पारेषण के मूल्य पर ध्यान दिए बिना ऐसे व्यक्ति द्वारा सृजित जाएगा।

स्पष्टीकरण 1 - इस नियम के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति "हस्तशिल्प माल" से वह अर्थ होगा जो इसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1158 (अ) द्वारा प्रकाशित, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना सं. 32/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 15/09/2017 में दिया गया है।

स्पष्टीकरण 2 - इस नियम के प्रयोजन के लिए माल का पारेषण मूल्य वह मूल्य होगा जो धारा 15 के उपबंधों के अनुसरण में अवधारित किया गया है बीजक, उक्त पारेषण के संबंध में जारी किए गए यथास्थिति, आपूर्ति के बिल या परिदान चालान में घोषित किया गया है और इसके अंतर्गत केन्द्रीय कर या संघ राज्य-क्षेत्र कर अथवा दस्तावेजों में भारित किया गया सैस, यदि कोई हो, भी है और और इसमें छूट प्राप्त माल का मूल्य अपवर्जित है, जहां बीजक दोनों अपूर्तियों, छूट प्राप्त तथा करदेय आपूर्ति हेतु जारी किया गया है।

(2) जहां सड़क द्वारा माल का परिवहन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पारेषित के रूप में या पारेषिती के रूप में पूर्ति के प्राप्तिकर्ता के रूप में चाहे स्वयं के परिवहन में या एक भाटक या सार्वजनिक वाहन पर किया जाता है, तो उक्त व्यक्ति प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग ख में सूचना प्रस्तुत करने के पश्चात् सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 में ई-वे बिल का सृजन कर सकेगा:

(2क) जहां मालों का परिवहन रेल द्वारा या वायुयान या जलयान द्वारा किया जाता है वहां ई-वे बिल रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा सृजित की जाएगी, पूर्तिकर्ता या प्राप्तिकर्ता या तो मालों के संचलन के प्रारंभ से पहले या बाद में सामान्य पोर्टल पर जीएसटी ईडब्ल्यू बी-01 के भाग ख में जानकारी देगा:

परंतु जहां मालों का परिवहन रेल द्वारा किया जाता है वहां रेल तब तक मालों की पूर्ति नहीं करेगा जब तक कि वह इन नियमों के अधीन अपेक्षित ई-वे बिल पूर्ति करते समय प्रस्तुत नहीं करता।

(3) जहां उपनियम (2) के अधीन ई-वे बिल सृजित नहीं किया जाता है और माल को सड़क द्वारा परिवहन के लिए परिवहनकर्ता को सौंप दिया जाता है तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति परिवहनकर्ता के संबंध में सामान्य पोर्टल पर सूचना प्रस्तुत करेगा और ई-वे बिल को उक्त पोर्टल पर परिवहनकर्ता द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटी ईब्ल्यूबी-01 के भाग क में प्रस्तुत सूचना के आधार पर सृजित किया जाएगा :

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या परिवहनकर्ता अपने विकल्प पर ई-बिल का तब भी सृजन और वहन कर सकेगा जब पारिषण का मूल्य पचास हजार रुपए से कम है :

परंतु यह और कि जब संचलन किसी गैर-रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा या तो अपने स्वयं के या किसी भाटक पर वाहन या किसी परिवहनकर्ता के माध्यम से कारित किया जाता है तो वह या परिवहनकर्ता अपने स्वयं के विकल्प पर इस नियम में विनिर्दिष्ट रीति में सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईब्ल्यूबी-01 में ई-बिल का सृजन कर सकेगा :

परंतु यह भी कि जहां माल का परिवहन राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में पारिषक के कारबार के स्थान से, परिवहनकर्ता के कारबार के स्थान तक आगे परिवहन के लिए, पचास किलोमीटर से कम दूरी के लिए किया जाता है तो पूर्तिकार या प्राप्तिकर्ता या यथास्थिति परिवहनकर्ता प्ररूप जीएसटी ईब्ल्यूबी-01 के भाग ख में वाहन के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं करेंगे ।

स्पष्टीकरण 1.- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए जब माल की पूर्ति किसी गैर-रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता को की जाती है जो रजिस्ट्रीकृत है तो संचलन को ऐसे प्राप्तिकर्ता द्वारा कारित किया गया कहा जाएगा यदि माल का संचलन प्रारंभ होने के समय प्राप्तिकर्ता ज्ञात है ।

स्पष्टीकरण 2.- ई वे बिल, सड़क द्वारा माल के परिवहन के लिए विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि प्ररूप जीएसटी ईब्ल्यूबी-01 बिल भाग-ख में सूचना नहीं दी जाती है, सिवाय उस दशा के जब परिवहन उपनियम (3) के तीसरे परंतुक और उपनियम (5) के परंतुक के अंतर्गत आता है ।

(4) सामान्य पोर्टल पर ई-वे बिल के सृजन पर सामान्य पोर्टल पर पूर्तिकार, प्राप्तिकर्ता, परिवहनकर्ता को एक विशिष्ट ई-वे बिल संख्या (ईबीएन) उपलब्ध कराया जाएगा ।

(5) जब माल एक वाहन से दूसरे वाहन पर अंतरित किया जाता है तो पारिषणकर्ता या प्राप्तिकर्ता जिसने प्ररूप जीएसटी ईब्ल्यूबी-01 के भाग क में सूचना प्रदान की है या परिवहनकर्ता, ऐसे अंतरण और माल के परिवहन से पूर्व सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईब्ल्यूबी-01 के भाग ख में वाहन के ब्यौरे ई-वे बिल में अद्यतन करेगा :

परंतु जहां मालों का परिवहन राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में परिवहनकर्ता के कारबार के स्थान से अंतिमतः पारिषिती के कारबार के स्थान से पचासकिलोमीटर से कम दूरी के लिए किया जाता है, तो वाहन के ब्यौरों को ई-वे बिल में अद्यतन नहीं किया जा सकेगा ।

(5क) पारिषणकर्ता या प्राप्तिकर्ता जिसने प्ररूप जीएसटी ईब्ल्यूबी-01 के भाग क में वाहन के ब्यौरे की सूचना दी है या परिवहनकर्ता पारिषण के आगे परिवहन के लिए प्ररूप जीएसटी ईब्ल्यूबी-01 के भाग ख में सूचना अद्यतन करने के लिए अन्य रजिस्ट्रीकृत या नामांकित परिवहनकर्ता को ईब्ल्यूबी-01 बिल सं. समनुदेशित कर सकेगा ।

परंतु परिवहनकर्ता द्वारा प्ररूप जीएसटी ईब्ल्यूबी-01 के भाग ख में अद्यतन करने के पश्चात, यथास्थिति, पारिषणकर्ता या प्राप्तिकर्ता, जिसने प्ररूप जीएसटी ईब्ल्यूबी-01 के भाग क में सूचना दी है, को किसी अन्य व्यक्ति को ई-वे बिल संख्या समनुदेशित करने हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(6) उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसरण में ई-वे बिल के सृजन के पश्चात्, जहां बहुल पारेषणों को एक वाहन में परिवहन करना आशयित है तो परिवहनकर्ता ऐसे प्रत्येक पारेषण के संबंध में सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से सृजित ई-वे बिलों की क्रम संख्या को उपदर्शित कर सकेगा और माल के संचलन से पूर्व उक्त सामान्य पोर्टल पर उसके द्वारा **प्ररूप जीएसटी ईब्ल्यूबी-02** में एक समेकित ई-वे बिल का सृजन किया जा सकेगा ।

(7) जहां पारेषक या पारेषित्री ने ई-वे बिल का सृजन **प्ररूप जीएसटी ईब्ल्यूबी-01** में नहीं किया है और वाहन में ले जाए जाने वाले माल के पारेषण का कुल योग मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है तो परिवाहक, यथास्थिति, पूर्ति के बीजक या प्रदाय का बिल या परिदान चालान के आधार पर ई-वे बिल का सृजन **प्ररूप जीएसटी ईब्ल्यूबी-01** में अंतरराज्य पूर्ति की बाबत, माल का पारेषण रेल, वायुयान और जलयान के सिवाय, सृजन करेगा और माल के संचलन से पूर्व सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी ईब्ल्यूबी-02** में समेकित ई-वे बिल का भी सृजन कर सकेगा ।

परंतु जहां माल जिनका परिवहन किया जाना है उसकी ई-वाणिज्य परिचालक के माध्यम से आपूर्ति की जाती है वहां ऐसे ई-वाणिज्य परिचालक या कोरियर एजेंसी द्वारा **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01** के भाग क में सूचना दी जा सकेगी ।

(8) **प्ररूप जीएसटी ईब्ल्यूबी-01** के भाग क में प्रस्तुत सूचना को सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा जो उसका उपयोग **प्ररूप जीएसटीआर-01** में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए कर सकेगा :

परंतु जहां सूचना गैर-रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार या गैर-रजिस्ट्रकृत प्राप्तिकर्ता द्वारा **प्ररूप जीएसटी ईब्ल्यूबी-01** में प्रस्तुत की गयी है तो उसे इलैक्ट्रानिक रूप से सूचित किया जाएगा, यदि मोबाइल नंबर या ई-मेल उपलब्ध है ।

(9) जहां इस नियम के अधीन ई-वे बिल सृजित किया गया है किंतु माल का या तो परिवहन नहीं किया गया है या परिवहन प्रस्तुत ई-वे बिल के ब्यौरों के अनुसार नहीं किया गया है तो ई-वे बिल को सामान्य पोर्टल पर ई-वे बिल के सृजन के चौबीस घंटों के भीतर रद्द किया जा सकेगा :

परंतु किसी ई-वे बिल को रद्द नहीं किया जा सकेगा यदि उसका नियम 138ख के उपबंधों के अनुसार अंतरण में सत्यापन कर दिया गया है ।

परंतु यह और कि उपनियम (1) के अधीन उत्पन्न विशिष्ट संख्या **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01** के भाग ख के अद्यतन हेतु पंद्रह दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगी ।

(10) इस नियम के अधीन सृजित ई-वे बिल या समेकित ई-वे बिल सुसंगत तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित अवधि के लिए स्तंभ (2) में यथावर्णित माल का परिवहन की जाने वाली, देश के भीतर दूरी, के लिए विधिमान्य होगा :

सारणी

क्रम सं.	दूरी	वैधता की अवधि
(1)	(2)	(3)
1.	100 किलोमीटर तक	एक दिन सिवाय अधिक विमीय कार्गो के
2.	प्रत्येक 100 किलोमीटर या तत्पश्चात्	एक अतिरिक्त दिन सिवाय अधिक

	उसके भाग के लिए	विमीय कार्गों के
3.	20 किलोमीटर तक	अधिक विमीय कार्गों की दशा में एक दिन
4.	प्रत्येक 20 किलोमीटर या तत्पश्चात् उसके भाग	अधिक विमीय कार्गों की दशा में एक अतिरिक्त दिन

परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा, किसी ई-वे बिल की विधिमान्यता की अवधि का उसमें विनिर्दिष्ट माल के कतिपय प्रवर्गों, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाए, के लिए विस्तार कर सकेगा :

परंतु यह और कि आपवादिक प्रकृति जिसके अंतर्गत पोतांतरण भी है की परिस्थितियों के अधीन, जहां माल का परिवहन ई-वे बिल की विधिमान्य अवधि के भीतर नहीं किया जा सकता है, तो परिवहक यदि अपेक्षित हो तो **प्ररूप जीएसटी ईब्ल्यूबी-01 के भाग ख** में ब्यौरों को अद्यतन करने के पश्चात् विधिमान्य अवधि को बढ़ा सकेगा।

स्पष्टीकरण 1—इस नियम के प्रयोजनों के लिए “सुसंगत तारीख” से वह तारीख अभिप्रेत होगी, जिसको ई-वे बिल का सृजन किया गया है और विधिमान्य की अवधि की गणना उस समय से की जाएगी जिसको ई-वे बिल का सृजन किया गया है और प्रत्येक दिन की गणना ई-वे बिल के सृजन की तारीख के ठीक पश्चात्तर्ती दिन के मध्यरात्री को समाप्त होने वाली अवधि के रूप में की जाएगी।

स्पष्टीकरण 2— इस नियम के प्रयोजन के लिए “ओवर डायमेंशन कार्गों” पद से ऐसा कोई कार्गों अभिप्रेत है जिसका एकल अविभाजीय यूनिट के रूप में प्रवहन किया जा रहा है और जिसकी डायमेंशन सीमाएं मोटर यान अधिनियम 1988 (1988 के 59) के अधीन बनाए गए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 93 में विहित डायमेंशन सीमाओं से अधिक हैं।

(11) इस नियम के अधीन सृजित ई-वे बिल के ब्यौरों को सामान्य पोर्टल पर निम्नलिखित को उपलब्ध कराया जाएगा—

(क) पूर्तिकार को, यदि वह रजिस्ट्रीकृत है, जहां प्राप्तिकर्ता या परिवहक द्वारा **प्ररूप जीएसटी ईब्ल्यूबी-01 के भाग क** में जानकारी दी गई है; या

(ख) प्राप्तिकर्ता को, यदि वह रजिस्ट्रीकृत है, जहां पूर्तिकार या परिवहक द्वारा **प्ररूप जीएसटी ईब्ल्यूबी-01 के भाग क** में जानकारी दी गई है,

और पूर्तिकार या प्राप्तिकर्ता, यथास्थिति, वह अपनी ई-वे बिल के अधीन आने वाले पारेषण की स्वीकृति या अस्वीकृति की संसूचना देगा।

(12) जहां उपनियम (11) में निर्दिष्ट जानकारी सामान्य पोर्टल पर ब्यौरों को उसे उपलब्ध कराने के बहत्तर घण्टे के भीतर या माल के परिदान के समय, इसमें से जो भी पूर्वतर हो अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति से संसूचित नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि उसने उक्त ब्यौरों को स्वीकार कर लिया है।

(13) इस नियम या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्रके माल और सेवाकर नियमों के नियम 138 के अधीन सृजित ई-वे बिल प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र में वैध होगा।

(14) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी ई-वे बिल को सृजित करने की अपेक्षा नहीं होगी -

(क) जहां परिवहन किए जा रहे माल को उपाबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है ;

(ख) जहां माल का परिवहन गैर-मोटरीकृत वाहन द्वारा किया जा रहा है ;

(ग) जहां माल का परिवहन किसी पत्तन, विमानपत्तन, एयर कार्गो परिसर और भू-सीमा-शुल्क केंद्र से किसी ईन-लैंड कंटेनर डिपो या किसी कंटेनर फ्रेट स्टेशन को सीमा-शुल्क द्वारा अनापत्ति के लिए किया जा रहा है ;

(घ) माल का संचलन ऐसे क्षेत्र में किया जा रहा है, जो संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के माल और सेवाकर नियमों के नियम 138 के उपनियम (14) के खंड (घ) के अधीन अधिसूचित है ;

(ङ) जहां डी-ऑयलड केक से भिन्न परिवहन किया गया माल भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 674(अ) द्वारा प्रकाशित, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक 2/2017-केन्द्रीय कर (दर) तारीख 28 जून, 2017 से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट है ;

(च) जहां माल, मानव उपभोग के लिए एल्कोहल लिकर, पेट्रोलियम अपरिस्कृत, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (जिसे सामान्य रूप से पेट्रोल के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन ईंधन ;

(छ) जहां परिवहन किए जाने वाले माल की अपूर्ति को अधिनियम की अनुसूची 3 के अधीन किसी आपूर्ति के रूप में नहीं माना जाता है ।

(ज) जहां मालों का परिवहन,-

(i) किसी अंतरदेशीय आधान डिपो या किसी आधान माल भाड़ा स्टेशन से सीमा शुल्क बंध पत्र के अधीन किसी सीमा शुल्क पत्तन, विमानपत्तन, वायु कार्गो काम्पलैक्स और भू सीमा-शुल्क स्टेशन को या किसी एक सीमा शुल्क स्टेशन या सीमा शुल्क पत्तन से किसी अन्य सीमा शुल्क स्टेशन या सीमा शुल्क पत्तन को किया जा रहा है, या

(ii) सीमा शुल्क पर्यवेक्षण या सीमा शुल्क मुद्रा के अधीन ।

(झ) जहां ऐसे माल जिसका परिवहन किया जा रहा हो नेपाल या भूटान से आने वाली या को जाने वाले पारगमन कार्गो हैं ।

(ञ) जहां परिवहन किए जा रहे माल अधिसूचना सं. 7/2017- केन्द्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 679(अ), तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित तथा समय समय पर यथासंशोधित और अधिसूचना सं. 26/2017- केन्द्रीय कर, तारीख 21 सितम्बर, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 1181(अ), तारीख 21 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित तथा समय समय पर यथासंशोधित के अधीन कर से छूट प्राप्त है ।

(ट) । जहां माल का पारेषण किसी रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन रक्षा संगठन द्वारा, अपूर्तिकर्ता या प्राप्तिकर्ता के रूप में किया जाय।

ठ) जहां मालों का पारेषक, रेल द्वारा मालों के परिवहन के लिए केंद्र सरकार, कोई राज्य सरकार, या कोई स्थानीय प्राधिकारी हैं ।

(ड) जहां खाली कार्गो कंटेनर का परिवहन किया जा रहा है। और

(द) जहां मालों का परिवहन, किसी परेषक के कारबार के स्थान से किसी तोल सेतु तक उसका वजन करने के लिए या किसी तोल सेतु से वापस उक्त परेषक के कारबार के स्थान तक 20 किलोमीटर तक की दूरी के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए किया जा रहा है कि मालों का संचलन नियम 55 के अनुसार जारी परिदान चालान से सहयुक्त है ।

स्पष्टीकरण—ई-वे बिल के सृजन, रद्द, अद्यतन और सुपुर्दगी की सुविधा को, यथास्थिति, पूर्तिकार, प्राप्तकर्ता और परिवहक को एसएमएस के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जा सकेगा ।

**उपाबंध
[(नियम 138 (14) देखें)]**

क्र.सं.	माल का विवरण
(1)	(2)
1.	परिवार और गैर-घरेलू छूट वाले प्रवर्ग (एनडीइसी) ग्राहकों के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस की आपूर्ति
2.	पीडीएस के अधीन बिक्रीत मिट्टी का तेल
3.	डाक विभाग द्वारा परिवहन किए गए डाक सामान
4.	असली या कल्चरी मोती और कीमती या कम मूल्य के रत्न ; कीमती धातु और कीमती धातु की परत वाले धातु
5.	आभूषण, स्वर्णकार और रजतकार सामग्री और अन्य वस्तुएं (अध्याय-71)
6.	करैसी
7.	निजी और घरेलू प्रभाव के उपयोग
8.	प्रवाल, अकर्मित(0508) और कर्मित प्रवाल(9601) .“;

(iii) नियम 138क के लिए निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“138क. किसी वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा साथ रखे जाने वाले दस्तावेज और युक्तियां.-- (1) किसी वाहन का प्रभारी व्यक्ति से--

(क) यथास्थिति, बीजक या पूर्ति बिल या परिदान चालान अपने साथ रखेगा ;

(ख) भौतिक रूप में ई-वे बिल की प्रति या ई-वे बिल सं. एलेक्ट्रॉनिक रूप में या आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाने वाली रीति में वाहन में संनिहित रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान रीति के माध्यम से पहचान युक्ति से में प्रतिचित्रण की गई ई-वे बिल सं. रखेगा :

परंतु इस उपनियम की खंड ख में उद्धृत कोई बात रेल रेल, वायुयान और जलयान केद्वारा मालों की संचलन की दशा में लागू नहीं होगी ।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति **प्ररूप जीएसटी आईएनबी-1** में उसके द्वारा जारी किए गए कर बीजक को उक्त पोर्टल पर अपलोड करके सामान्य पोर्टल से बीजक निर्देश संख्या अभिप्राप्त कर सकेगा और उसे कर बीजक के बदले में उचित अधिकारी द्वारा सत्यापन के

लिए प्रस्तुत कर सकेगा तथा ऐसी संख्या अपलोड करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

(3) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपनियम (2) के अधीन बीजक अपलोड करता है, वहां प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग 'क' में सूचना प्ररूप जीएसटी आईएनबी-1 में दी गई सूचना के आधार पर सामान्य पोर्टल द्वारा संकलित की जाएगी।

(4) आयुक्त, अधिसूचना द्वारा परिवाहकों के वर्ग से विशिष्ट रेडियो आवृत्ति पहचान युक्ति की अपेक्षा कर सकेगा और प्रवहण पर युक्त उक्त जड़वा सकेगा तथा माल के संचलन से पूर्व परिवहन पर रेडियो आवृत्ति पहचान युक्ति ई-वे बिल का प्रतिचित्रण कर सकेगा।

(5) उपनियम (1) के खंड (ख) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां परिस्थितियों में ऐसी अपेक्षा की जाती है, वहां आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, प्रवहण भारसाधक से ई-वे बिल के बजाय, निम्नलिखित दस्तावेजों को वहन करने की अपेक्षा कर सकेगा -

(क) कर बीजक या प्रदाय का बिल या बिलऑफ एंट्री; या

(ख) जहां माल प्रदाय के माध्यम से भिन्न कारणों के लिए परिवहन किया जाता है, वहां परिदान चालान।¹³;

(iv) नियम 138ख के लिए निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“138ख. दस्तावेजों और वाहनों का सत्यापन - (1) आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी, समुचित अधिकारी को मालों के सभी अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय संचलन के लिए भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में ई-वे बिल का सत्यापन करने के लिए किसी वाहन को रोकने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) आयुक्त, उन स्थानों पर, जहां माल के संचलन का सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, रेडियो आवृत्ति पहचान प्रवाचक संस्थापित कराएगा और यानों के संचलन का सत्यापन ऐसे युक्ति प्रवाचकों के माध्यम से वहां किया जाएगा, जहां ई-वे बिल उक्त युक्ति के साथ प्रतिचित्रित किया गया है।

(3) प्रवहणों का वास्तविक सत्यापन आयुक्त द्वारा यथा प्राधिकृत उचित अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा सशक्त अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

परंतु कर अपवंचन पर विनिर्दिष्ट सूचना के प्राप्त हो जाने पर, विनिर्दिष्ट प्रवहण का वास्तविक सत्यापन आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का आवश्यक अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् किसी अन्य अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है।¹³;

(v) नियम 138ग के लिए निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“138ग. मालों का निरीक्षण और सत्यापन - (1) पारगमन में मालों के प्रत्येक निरीक्षण की एक संक्षिप्त रिपोर्ट समुचित अधिकारी द्वारा निरीक्षण के चौबीस घंटे के भीतर प्ररूप जीएसटी ई डब्ल्यू बी-03 के भाग क में और ऐसे निरीक्षण के तीन दिन के

भीतर उसकी अंतिम रिपोर्ट प्ररूप जीएसटी के बी-03 के भाग ख में अभिलिखित की जाएगी।

(2) जहां किसी वाहन के परिवहन किए जा रहे मालों का किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर या किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में किसी एक स्थान पर पारगमन के दौरान भौतिक सत्यापन किया जाता है वहां उक्त वाहन का उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में तब तक आगे और भौतिक सत्यापन नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पश्चात् कर अपवंचन से संबंधित कोई विनिर्दिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं करा दी जाती है।¹³;

(vi) नियम 138घ के लिए निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“138घ- यान को निरुद्ध किए जाने से संबंधित जानकारी अपलोड करने संबंधी प्रसुविधा- जहां किसी यान को रोका गया है और तीस मिनट से अधिक की अवधि के लिए निरुद्ध किया गया है वहां परिवाहक उक्त जानकारी को सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी-04 पर अपलोड कर सकेगा।¹⁴;

(vii) प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी-01, प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी-02, प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी-03, प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी-04 तथा प्ररूप जीएसटी आईएनबी-1 के लिए निम्नलिखित प्ररूपों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी -01

(नियम 138 देखें)

ई-वे बिल

ई-वे बिल सं. :

ई-वे बिल की तारीख :

सृजनकर्ता :

तारीख, जिससे विधिमान्य है :

तारीख, जिस तक विधिमान्य है :

भाग-क		
क. 1	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	
क. 2	प्रेषण का स्थान	
क. 3	प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	
क. 4	परिधान का स्थान	
क. 5	दस्तावेज संख्यांक	
क. 6	दस्तावेज की तारीख	

क. 7	माल का मूल्य	
क. 8	एचएसएन कोड	
क. 9	परिवहन के कारण	
भाग-ख		
ख. 1	सड़क के लिए यान संख्यांक	
ख. 2	परिवहन दस्तावेज संख्यांक/रक्षा यान संख्यांक/अस्थायी यान रजिस्ट्रीकरण संख्यांक/नेपाल या भूटान यान रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	

टिप्पण:

- क. 8 में एचएसएन कोड, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपये तक वार्षिक आवर्त रखने वाले करदाताओं के लिए न्यूनतम दो अंकीय स्तर और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपये से ऊपर का वार्षिक आवर्त रखने वाले करदाताओं के लिए चार अंकीय स्तर पर उपदर्शित किया जाएगा ।
- दस्तावेज संख्या कर बीजक, प्रदाय-पत्र, परिदान चालान या प्रवेश पत्र का हो सकेगा ।
- परिवहन दस्तावेज संख्या, माल रसीद संख्या या रेल रसीद संख्या या वायु मार्ग बिल संख्या या पोत परिवहन पत्र संख्या को उपदर्शित करता है ।
- परिदान का स्थान, परिदान के स्थान का पिन कोड उपदर्शित करेगा ।
- प्रेषण का स्थान,प्रेषण के स्थान में पिन कोड दर्शित करेगा ।
- जहां प्रदायकर्ता या प्राप्तिकर्ता रजिस्ट्रीकृत नहीं है, तब, यथास्थिति, स्तंभ क.1 या स्तंभ क.3 में “यूआरपी” शब्द भरे जाएंगे ।
- परिवहन के लिए कारण निम्नलिखित में से एक चुना जाएगा :-

कोड	विवरण
1	प्रदाय
2	निर्यात या आयात
3	छुट-पुट कार्य
4	एसकेडी या सीकेडी
5	प्राप्तिकर्ता ज्ञात नहीं है
6	लाइन सेल्स

- 7 विक्रय की विवरणी
 - 8 प्रदर्शनी या मेले
 - 9 स्वयं के उपयोग के लिए
 - 0 अन्य
-

प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी -02

(नियम 138 देखें)

समेकित ई-वे बिल

समेकित ई-वे बिल संख्यांक :

समेकित ई-वे बिल की तारीख :

सृजनकर्ता :

यान संख्या :

ई-वे बिलों की संख्या		
ई-वे बिल सं.		

प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी -03

(नियम 138ग देखें)

सत्यापन रिपोर्ट

भाग क	
अधिकारी का नाम	
निरीक्षण की तारीख	
निरीक्षण का समय	
यान संख्या	
ई-वे बिल संख्या	
कर बीजक या पूर्ति बिल या परिदान चालान या बिल ऑफ एंट्री की तारीख	
कर बीजक या पूर्ति बिल या परिदान चालान या बिल ऑफ एंट्री की संख्या	
यान के प्रभारी व्यक्ति का नाम	
माल का वर्णन	
घोषित माल की मात्रा	
घोषित माल का मूल्य	
फर्क का संक्षिप्त वर्णन	
क्या माल निरूद्ध किया गया था ?	
यदि नहीं, तो यान निर्मुक्त की तारीख और समय	
भाग ख	
माल की वास्तविक मात्रा	
माल का वास्तविक मूल्य	
संदेय कर	
समेकित कर	
केंद्रीय कर	

राज्य या संघ राज्यक्षेत्र कर	
उपकर	
संदेय शास्ति	
समेकित कर	
केंद्रीय कर	
राज्य या संघ राज्यक्षेत्र कर	
उपकर	
सूचना के ब्यौरे	
तारीख	
संख्या	
निष्कर्ष के सारांश	

प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-04

(नियम 138घ देखें)

निरूद्ध की रिपोर्ट

ई-वे बिल संख्या	
निरूद्ध की अनुमानित स्थिति	
निरूद्ध की अवधि	
प्रभारी अधिकारी का नाम	(यदि ज्ञात हो)
तारीख	
समय	

प्ररूप जीएसटी आईएनवी-1

(नियम 138 क देखें)

बीजक संदर्भ संख्या का सृजन

आईआरएन :		तारीख:	
प्रदायकर्ता का नाम			
जीएसटीआईएन			
विधिक नाम			
व्यापार नाम, यदि कोई है			
पता			
बीजक की क्रम संख्या			
बीजक की तारीख			
	प्राप्तिकर्ता के ब्यौरे (जिसके नाम बिल बनाया गया)	परेषिति के ब्यौरे (जिसको लदान किया गया)	
जीएसटीआईएन या यूआईएन, यदि उपलब्ध है			
नाम			
पता			
राज्य (नाम और कोड)			
प्रदाय का प्रकार -			
	बी से बी प्रदाय		
	बी से सी प्रदाय		
	प्रतिलोम प्रभार आकर्षित करता है		
	टीसीएस आकर्षित करता है	प्रचालक जीएसटीआईएन का	
	टीडीएस आकर्षित करता है	टीडीएस प्राधिकारी का जीएसटीआईएन	

	निर्यात
	विशेष आर्थिक जोन को किया गया प्रदाय
	माना गया निर्यात

क्र. स.	माल का वर्णन	एच.एस.एन.	मात्रा	इकाई	कीमत (प्रति इकाई)	कुल मूल्य	कटौती, यदि कोई है	कराधेय मूल्य	केंद्रीय कर		राज्य या संघ राज्यक्षेत्र कर		समेकित कर		उपकर	
									दर	रकम	दर	रकम	दर	रकम	दर	रकम
	माल भाड़ा															
	बीमा															
	पैकिंग और अग्रेषित प्रभार आदि															
	कुल															
	कुल बीजक मूल्य (अंकों में)															
	कुल बीजक मूल्य (शब्दों में)															

हस्ताक्षर
हस्ताक्षरकर्ता का नाम

पदनाम या प्रास्थिति;

(viii) इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में, घोषणा [धारा 54(3) का दूसरा परंतुक] के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“घोषणा [धारा 54(3) का दूसरा परंतुक]

मैं यह घोषणा करता हूँ कि निर्यात किया गया माल किया निर्यात शुल्क के अश्वधीन नहीं है । मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैंने इस माल या सेवा या दोनों पर कोई भी प्रतिदायगी का उपभोग नहीं किया है और मैंने इस प्रदाय पर भुगतान किए गए एकीकृत कर के ऐसे प्रतिदाय का दावा नहीं किया है, जिसके संबंध में प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम या प्रास्थिति”;

(ix) इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01क में, घोषणा [धारा 54(3) का दूसरा परंतुक] के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“मैं यह घोषणा करता हूँ कि निर्यात किया गया माल किया निर्यात शुल्क के अश्वधीन नहीं है । मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैंने इस माल या सेवा या दोनों पर कोई भी प्रतिदायगी का उपभोग नहीं किया है और मैंने इस प्रदाय पर भुगतान किए गए एकीकृत कर के ऐसे प्रतिदाय का दावा नहीं किया है, जिसके संबंध में प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम या प्रास्थिति” ।

[फा. सं0. 349/58/2017-जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम बार संशोधन सा.का.नि. संख्या 52(अ), तारीख 23 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 3/2018-केन्द्रीय कर, तारीख 23 जनवरी, 2018 द्वारा किया गया था ।